न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी – रिछपालसिंह बुरड़क (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या – 134/2016

वादीगण :–

1. राजुदेवी पत्नि केसाराम
2. भागवती पुत्री केसाराम
3. सीपु पुत्री केसाराम
4. काली पुत्री केसाराम
5. अणुती पुत्री केसाराम
6. भतीया पुत्री केसाराम
7. सन्तोष पुत्री केसाराम
8. मंजु पुत्री केसाराम
9. जीवनराम पुत्र केसाराम जरिये कुदरती वलीया माता राजुदेवी पत्नि केसाराम

जातियान चौकीदार (बावरी) निवासीगण ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादी :– तहसीलदार तहसील कार्यालय पीपाड शहर जिला जोधपुर राजस्थान।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. रामदयाल चौधरी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. तहसीलदार स्वंय प्रतिवादी संख्या एक

निर्णय

दिनांक :– 26/3/18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि –

वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी कब्जाशुदा जमीन ग्राम खागंटा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नबंर 1953 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 1982 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 2914 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नबंर 2920 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में नई खाता संख्या 914 व पुराना 891 पर दर्जशुदा है। उक्त भूमि को आगे वादपत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सबोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2058 से 2061 की प्रति संलग्न पेश है।

वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जाशुदा जमीन है। वादीगण के पिता/पति का नाम मतदाता पहचानपत्र में केसाराम पुत्र बलदेवराम अंकित है तथा परिवार कार्ड में केसाराम पुत्र बलदेवराम अंकित है जबकि वादीगण के पिता/पति कों घरेलु बोलचाल की भाषा में हरीराम पुत्र बलदेवराम नाम से जाना पुकारा जाता है इसीलिए वादीगण के पिता/पति का नाम हरीराम पुत्र बलदेवराम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया है जबकि वादीगण के पिता/पति का नाम मतदाता पहचानपत्र , परिवारकार्ड व अन्य दस्तावेज में केसाराम दर्ज है राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम हरीराम पुत्र बलदेवराम दर्ज होते हुए वादीगण के पिता/पति का देहान्त दिनांक 16.01.2016 को हो गया तथा वादीगण के पिता/पति के देहान्त के पश्चात वादीगण के पिता/पति का मृत्यु प्रमाणपत्र केसाराम पुत्र बलदेवराम के नाम से जारी कर दिया गया। वादीगण अपने पिता/पति के देहान्त पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी पर शामिल ही काबिज का"त करते आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक अलग अलग बंटवाडा किया हुआ नही है। वादीगण शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। हाल ही में वादीगण अपने वादग्रस्त आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनानें हेतु हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी अभी तक वादीगण के पिता के नाम ही दर्ज है। इस पर वादीगण ने अपने नाम करवाने हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में हरीराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज में वादीगण के पिता/पति का नाम केसाराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है इसलिए उक्त रिकार्ड श्रीमान न्यायालय हाजा से दुरूस्त करवानें हेतु कहा इसलिए वादीगण को उक्त वादपत्र घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पे"ा करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जाशुद है जो वादीगण को अपने पिता/पति के देहान्त होने के पश्चात प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादीगण अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवानें के अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व वाद डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र के पद सख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता/पति हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित फरमायें जाने का आदेश फरमावें व राजस्व रेकर्ड में हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर राजुदेवी पत्नि केसाराम, भागवती, सीपु, काली, अणुती, भतिया, सन्तोष, मंजु पुत्रीयॉ केसाराम व जीवणराम पुत्र केसाराम जाति चौकीदार सा.देह खातेदार इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या एक ने स्वंय उपस्थित होकर वादपत्र का जवाब पेश किया कर निवेदन किया कि वादीगण ने बदोंबस्त की स्थिति नही दर्शायी है, वादग्रस्त आराजी जो हरिराम के

पिता बलदेवराम के नाम दर्ज थी उनके खसरें 1953, 1982, 2914, 2920 व 1900 कुल रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा है। उक्त आराजी में से खसरा नबरं 1900 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा का बैचान होने से जिसका नामान्तकरण सख्या 877 से हुक्माराम पुत्र गणेशराम कौम ग्वारिया निवासी पीपाड शहर के नाम से दर्ज हुई। उसके बाद जमाबंदी सम्वत 2046–2049 में खसरा नबंर 1900 का रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 909 से चिमनाराम, मादाराम पिता गुनाराम कौम मेघवाल साकित देह खातेंदार के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी बंदोबस्त बलदेव वल्द जवाहर बावरी साकिन देह खातेंदार के नाम दर्ज थी, जिसमें बलदेव की मृत्यु हो जाने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 140 से पुईन्दा लडका हरीराम पुत्र बलदेव के नाम से दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी पर युकों बैंक खागंटा का ऋण प्रभार हो से नामान्तकरण संख्या 1543 के जरिये रहन व नामान्तकरण संख्या 2569 के जरिये रहन मुक्त की गई।पटवारी खागंट की रिपोर्ट के अनुसार हरीराम व उसका परिवार ग्राम खागंटा में काफी समय से निवास नही करते है वह सभी ग्राम रतकुडिया की सीमा में ढाणियॉ में निवास करते है। वादीगण की बात असत्य है कि बैंक से के.सी.सी. ऋण हेतु प्रतिवादी संख्या एक को वादीगण ने निवेदन बाबत् कोई प्रार्थनापत्र पेश नही किया। वादीगण ने खतौनी बंदोबस्त अनुरुप पद संख्या एक में वादग्रस्त आराजी का उल्लेख नही किया एंव न ही बंदोबस्त के बाद फोतेदगी नामान्तरण एवं वर्ष 1980 व 1987 में हरीराम द्वारा खसरा नबंर 1900 का बैचान करने तथा वर्ष 2015 में बैक ऋण का कोई उल्लेख वाद में नही कर तथ्यों को छिपाया है व प्रतिवादी संख्या एक ने अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पिता केसाराम का नाम वादग्रस्त आराजी में हरीराम के स्थान पर जरिये घोषणात्मक वाद डिक्री किया जाना प्रमाणित न होने से वादीगण का वाद जरिये हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

उक्त वाद प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई –

आया कि वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में हरीराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज में वादीगण के पिता/पति का नाम केशाराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है (जिम्में वादीगण)

आया वादीगण के पिता/पति हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। (जिम्में वादीगण)

आया वादीगण का वाद प्रमाणित न होने से उनका वाद चलने योग्य नही है।

(जिम्में प्रतिवादी)

बहस सुनी गई, पत्रावली व पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या – 1 आया कि वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में हरीराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज में वादीगण के पिता/पति का नाम केशाराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है।

(जिम्में वादीगण)

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था, वादीगण ने अपनी ओर से गवाह पीडब्ल्यू 1 राजुदेवी, गवाह पीडब्ल्यू 2 काली के बयान पेश कियें। वादीगण द्वारा प्रदर्श दस्तावेजों का न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया, प्रदर्श जमाबंदी ईएक्स 1 है जिसमें हरीराम पुत्र बलदेवराम नाम दर्ज है, गिरदावरी ई एक्स 2 है जिसमें हरीराम पुत्र बलदेवराम नाम दर्ज है, ट्रेस नक्शा ईएक्स 3 है, प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत ईएक्स 4 ए–1 है, जिसमे सरपंच ग्रामपंचायत खागंटा ने प्रमाणपत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि हरीराम पुत्र बलदेवराम, केसाराम पिता बलदेवराम निवासी खागंटा जो कि एक ही व्यक्ति के नाम है उक्त व्यक्ति को केसाराम के नाम से जाना जाता है। आधार कार्ड ईएक्स 5ए1 है जो केसाराम पुत्र बलदेवराम के नाम से बना हुआ है। मृत्यु प्रमाणपत्र ईएक्स 6ए1 है जो केसाराम पुत्र बलदेवराम के नाम से जारी है। आधार कार्ड ईएक्स 7ए–1 है जो राजुदेवी पत्नि केशाराम के नाम से बना हुआ है। वादीगण द्वारा पेश गवाहानों के बयानों से व सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाणपत्र व वादीगण द्वारा पेश अन्य दस्तावेजों से वादीगण अपने पक्ष यह साबित करने में सफल रहें कि वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में हरीराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज में वादीगण के पिता/पति का नाम केसाराम पुत्र बलदेवराम दर्ज है। इस प्रकार तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष मे साबित की जाती है।

तनकी संख्या – 2 आया वादीगण के पिता/पति हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। (जिम्में वादीगण)

तनकी संख्या दों साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से गवाह राजुदेवी ने प्रदर्श ईएक्स 6ए1 पेश किया जिसमे केशाराम पुत्र बलदेवराम के मृत्यु दिनांक 16.1.2016 को हो जानें बाबत् मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया जिससे स्पष्ट हे कि वादीगण के पिता/पति की मृत्यु हो चुकी है। पिता/पति की मृत्यु के पश्चात वारिशान ही खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष मे साबित होनी पाई गई इसलिए वादीगण अपने पिता/पति हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी संख्या दो वादीगण के पक्ष मे साबित करने में सफल रहें।

तनकी संख्या 3 आया वादीगण का वाद प्रमाणित न होने से उनका वाद चलने योग्य नही है। (जिम्में प्रतिवादी)

प्रतिवादी संख्या एक की ओर से कोई गवाह पेश नही हुआ न ही प्रतिवादी संख्या एक द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्श किये गये। तनकी संख्या एक व दो वादीगण अपने पक्ष मे साबित करने में सफल रहे। अतः तनकी संख्या तीन प्रतिवादी साबित करने में असफल रहे।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खागंटा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 1953 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 1982 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 2914 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नबंर 2920 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर वादीगण के पिता/पति हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर वादीगण राजुदेवी पत्नि केसाराम उर्फ हरीराम, भागवती, सीपु, काली, अणुती, भतिया, सन्तोष, मंजु पुत्रीयॉ केसाराम उर्फ हरीराम व जीवणराम पुत्र केसाराम उर्फ हरीराम जाति चौकीदार को खातेदार घोषित किया जाता है व राजस्व रेकर्ड में हरीराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर राजुदेवी पत्नि केसाराम उर्फ हरीराम, भागवती, सीपु, काली, अणुती, भतिया, सन्तोष, मंजु पुत्रीयॉ केसाराम उर्फ हरीराम व जीवणराम पुत्र केसाराम उर्फ हरीराम जाति चौकीदार सा. देह खातेदार इन्द्राज किया जाता है। तद् अनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(रिछपालसिंह बुरडक)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर दिंनाक 26/2/18 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(रिछपालसिंह बुरडक)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर